

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, केकड़ी (अजमेर) राज.

Email ID – npkekri2011@gmail.com

☎(O) : 01467-220002, 220019

web site : www.urban.rajasthan.gov.in/ulbkekri

क्रमांक : न.पा.के./प्र.शा.के.सं.अभि.-21 / 2022-23 / 1141

दिनांक : 07.06.2022

-:: बैठक सूचना ::-

श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर के क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2021/68664 दिनांक 27.09.2021 एवं क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान /2021/मं.मं.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 09.06.2022 को दोपहर 3.00 बजे पालिका कार्यालय में आहूत की जाती है।

अतः सभी सदस्यगणों की उपस्थिति सादर प्रार्थनीय है। बैठक का एजेण्डा निम्नानुसार है :-

1. कृषि भूमि में पूर्व अनुमोदित योजनाओं में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार।
2. राजस्वग्राम केकड़ी में स्थित आराजी खसरा नं. 5089, 5296, 5097, 5098, 9346/5096, 9347/5097 रकबा 1.42 है. में प्रस्तावित आवासीय योजना के 90क के अन्तर्गत आवेदन व भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों के निस्तारण पर विचार।
3. भवन निर्माण स्वीकृति के प्राप्त प्रकरणों पर विचार।
4. नामान्तरण के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों पर विचार।
5. नियम 69ए के तहत पट्टे प्राप्त करने हेतु प्राप्त पत्रावलियों पर विचार।

(बसन्त कुमार सैनी)

सदस्य सचिव, एम्पावर्ड कमेटी
एवं अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका केकड़ी

दिनांक : 07.06.2022

क्रमांक : न.पा.के./प्र.शा.के.सं.अभि.-21 / 2022-23 / 1142-1145

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्री कमलेश कुमार साहू, अध्यक्ष नगरपालिका केकड़ी।
2. श्रीमान् सहायक नगर नियोजक, अजमेर।
3. सहायक अभियंता, नगरपालिका केकड़ी।
4. कनिष्ठ लेखाकार, नगरपालिका केकड़ी।
5. सुश्री मंजुलता, वरिष्ठ प्रारूपकार नगरपालिका केकड़ी।

अध्यक्ष एम्पावर्ड कमेटी
सदस्य एम्पावर्ड कमेटी
सदस्य एम्पावर्ड कमेटी
सदस्य एम्पावर्ड कमेटी
सदस्य एम्पावर्ड कमेटी

(बसन्त कुमार सैनी)

सदस्य सचिव, एम्पावर्ड कमेटी
एवं अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका केकड़ी

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, केकड़ी (अजमेर) राज.

Email ID – npkekri2011@gmail.com (O) : 01467-220002, 220019 web site : www.urban.rajasthan.gov.in/ulbkekri

क्रमांक : न.पा.के./ प्र.शा.के.सं.अभि.-21 / 2022-23 / 1174


दिनांक : 09.06.2022

—: एम्पावर्ड कमेटी बैठक दिनांक 09.06.2022 की बैठक कार्यवाही विवरण :-

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर के पत्र क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/2021/68664 दिनांक 27.09.2021 एवं पत्र क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021/मं.मं. ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के द्वारा "प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021" के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 09.06.2022 को दोपहर 3.00 बजे कार्यालय, नगरपालिका में आहूत की गई जिसमें अधिकृत कमेटी के निम्नांकित पदाधिकारी/सदस्यगण उपस्थित हुये :-

1. श्री कमलेश कुमार साहू, अध्यक्ष, नगरपालिका केकड़ी।
2. श्री बसन्त कुमार सैनी, अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका केकड़ी।
3. श्री घासी लाल गुर्जर, सहायक अभियंता, नगरपालिका केकड़ी।
4. श्री भागचन्द बैरवा, कनिष्ठ लेखाकार नगरपालिका केकड़ी।
5. सुश्री मंजुलता कुमारी, वरिष्ठ प्रारूपकार, नगरपालिका केकड़ी।

अध्यक्ष
सदस्य सचिव
सदस्य
सदस्य
सदस्य



एम्पावर्ड कमेटी में कोरम पूरा होने पर श्रीमान् अध्यक्ष महोदय नगरपालिका केकड़ी की आज्ञा से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

प्रस्ताव सं. 01 : कृषि भूमि में पूर्व अनुमोदित योजनाओं में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार :-

अधिशासी अधिकारी ने कृषि भूमि में पूर्व अनुमोदित योजनाओं में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्राप्त प्रकरण कमेटी में रखे है जो निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक/पिता का नाम	खसरा संख्या		स्वीकृत योजना	भूखण्ड नम्बर	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रयोजनार्थ
		नया	पुराना				
1	श्री निलेश कर्नावट पुत्र सुशील कुमार	2721	3233 मी.	द्वारकाधीश	9	136.88	आवासीय
2	श्री किशनलाल पुत्र मोहनलाल	4142	3128	गोपाल कॉलोनी	39	108.73	आवासीय
3	श्री दोलतराम पुत्र नाथूलाल तेली	2802, 2782, 2781	5340, 5350, 5351	गणपति नगर प्रथम	07	127.55	आवासीय
4	श्रीमति अंजू सेठी पत्नि संजय सेठी	5039 से 5042	754 / 1	रूपनगर द्वितीय	9, 12	215.61	आवासीय
5	श्री आशाराम पुत्र लक्ष्मीनारायण चौधरी	959, 960, 8878 / 4254	-	न्यू विधा सागर	23	77.18	आवासीय
6	श्रीमति मनभर देवी पत्नि कन्हेयालाल छीपा श्री आशीष कुमार पुत्र हरिराम हरिराम पुत्र राजमहल छीपा	2754, 2755	5367, 5368	दुर्गापुरा कॉलोनी तृतीय	1	139.40	आवासीय
7	श्रीमति गीता देवी पत्नि किशनलाल रेगर	3803, 3804	3427, 3429	लवकुश द्वितीय	16	162.63	आवासीय
8	श्रीमति सुगना देवी पत्नि रामप्रसाद रेगर	960, 959, 8878 / 4254, 8877 / 4254	2946, 2947, 2950	न्यू प्रेमनगर	02	100.33	आवासीय
9	श्रीमति सायर देवी पत्नि महावीर प्रसाद शर्मा	782 से 786	409, 408 मी. 407 मी.	बालाजी नगर	76	111.52	आवासीय
10	श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नि नन्दकिशोर पाठक	1233	4164	ऋषभ प्रथम	17	118.92	आवासीय

उक्त पत्रावलियों का क्र.सं. 1 से 10 तक कमेटी द्वारा एक-एक कर अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि क्रम संख्या 1 से 18 तक पत्रावलियों में दस्तावेजों की पूर्ति, कनिष्ठ अभियंता मौका रिपोर्ट व स्वीकृत ले-आउट प्लान में होने से सभी पत्रावलियों के पट्टे जारी करने का निर्णय लिया जाता है।

प्रस्ताव सं. 02 – राजस्वग्राम केकडी में स्थित आराजी खसरा नं. 5089, 5296, 5097, 5098, 9346/5096, 9347/5097 रकबा 1.42 है. में प्रस्तावित आवासीय योजना के 90क के अन्तर्गत आवेदन व भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदनों के निस्तारण पर विचार :-

पत्रावली कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की गई। कमेटी द्वारा पत्रावलियों का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि खातेदारों द्वारा आराजी खसरा नं 5089 रकबा 0.73 हैक्टर खसरा नं 5096 रकबा 0.3550 हैक्टर खसरा नं 5097 रकबा 0.31 हैक्टर खसरा नं 5098 रकबा 0.2650 रकबा कुल 1.66 हैक्टर एवं खसरा नं 9346/5096 रकबा 0.09 हैक्टर व खसरा नं 9347/5097 रकबा 0.06 व खसरा नं 5103 रकबा 0.01 हैक्टर कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से कुशलविहार नाम से आवासीय कॉलोनी काटकर अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया गया तथा उक्त आराजीयात में बिना भू-उपयोग एवं योजना अनुमोदन तथा 90 क कार्यवाही सम्पादित की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर भूखण्डों को विक्रय किया गया है। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर खातेदारों द्वारा धारा 90 क की कार्यवाही सम्पादित करवाने हेतु जरिये डाक द्वारा पत्रावलियों के अलग-अलग चार सेट भिजवाये गये। जो पालिका के पत्र प्राप्ति पंजिका में क्रमांक 1538 से 1541 एवं क्रमांक 1561 से 1564 पर दर्ज करवाई।

पालिका को धारा 90 क के अंतर्गत अनुज्ञा व आवंटन एवं भू उपयोग परिवर्तन के बिना योजना प्रस्तावित कर भूखण्डों के विक्रय किये जाने की शिकायत श्री दीपक व रविन्द्र द्वारा की गई। जिस पर नगरपालिका मण्डल केकडी द्वारा पत्रांक सं 2530 दिनांक 23.01.2020 के तहत शिकायत पर उक्त आराजीयात के खातेदार स्व श्री धर्माचन्द जी के वारिसान (पत्नी बसन्त कंवर, पुत्र विनय, सज्जन, अशोक, प्रदीप, स्व. विमल कुमार पुत्री सुशीला, रेखा, आशा व स्व. विमल कुमार के वारिसान पत्नी चन्द्रकान्ता, पुत्र शुभम, पुत्री मोनिका, अर्पिता तथा स्व. शम्भूसिंह के वारिसान पत्नी भंवर कंवर, पुत्र राकेश कुमार, पारस कुमार, पुत्री आशा, लक्ष्मी) को जरिये नोटिस सूचित किया गया कि नोटिस प्राप्ति से अन्दरयाम पन्द्रह दिवस में विक्रय किये गये भूखण्डों पर से अवैध निर्माण हटा लिया जावे तथा नगरपालिका केकडी द्वारा आराजीयात को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 91 के तहत सिवायचक घोषित करने हेतु तहसीलदार महोदय केकडी को पत्रांक 2835 दिनांक 12.02.2020 को प्रकरण प्रेषित किया गया। तहसीलदार महोदय केकडी द्वारा जांच उपरान्त उक्त आराजीयात को धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी के वाद संख्या 97/2020 प्रस्तुत किया गया। जो आज भी विचाराधीन है।

अतः कमेटी ने पत्रावलियों का अवलोकन करने के उपरान्त पाया गया कि खातेदारों द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात पर शिकायत से पूर्व ही आवासीय कॉलोनी काट कर भूखण्डों का बैचान कर दिया गया। जो कि मास्टर प्लान 2031 में थोक व्यापार हेतु आरक्षित है। परन्तु उक्त वर्णित खातेदारों द्वारा उक्त वर्णित खसरा नम्बरान में आवासीय प्रयोजनार्थ योजना प्रस्तावित किया जाना पूर्णतया कृषि भूमि को 90 क की कार्यवाही की अनुज्ञा व आवंटन तथा योजना स्वीकृति के बिना ही अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेना नियम विरुद्ध है व मौके के हाल के अनुसार भी वर्णित खसरा नम्बरान कृषि उपज मंडी के लगवा स्थित है व वर्णित आराजीयात कृषि थोक व्यापार हेतु ही मास्टर प्लान 2031 में आरक्षित की गई है। अतः उक्त आराजीयात में मास्टर प्लान क विपरीत आवासीय कॉलोनी काटकर नियम विरुद्ध कार्य किया गया है तथा वर्णित पत्रावलियों में आवेदन शुल्क भी जमा नहीं होने से सर्वसम्मति से इस आवेदन को निरस्त किया जाकर दाखिल दफ्तर किये जाने का निर्णय पारित किया जाता है।

प्रस्ताव 03 :- भवन निर्माण स्वीकृति के प्राप्त आवेदनों पर विचार :-

अधिशारी अधिकारी ने भवन निर्माण स्वीकृति के प्रकरण कमेटी में रखे है जो निम्नानुसार है :-

1. श्रीमति सुनिता चौधरी पत्नी श्री कुमारानन्द चौधरी निवासी जैन विजय कॉलोनी द्वितीय प्लान नं. 03 केकडी।
2. श्री खेमचन्द लोढा पुत्र श्री नारायण लाल लोढा निवासी जयपुर रोड केकडी।
3. श्री मनीष कुमार श्री नोरतमल कलाल शिव कॉलोनी अजमेर रोड केकडी।
4. श्री जगदीश लक्षकार पुत्र श्री अर्जुन लाल लक्षकार शिव कॉलोनी अजमेर रोड केकडी।
5. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री उगमचन्द मेघवंशी दण्ड का रास्ता पानी की टंकी के पास केकडी।
6. श्रीमति स्नेहलता पत्नी श्री शिवराज गोदारा विकास नगर ब्यावर रोड केकडी।
7. श्रीमति सुमन कुमारी पत्नी श्री गणेश भांकर भार्मा गुरु नानक कॉलोनी केकडी।
8. श्री सुरज प्रकाश कुमावत पुत्र श्री छोदू लाल कुमावत लवकुश द्वितीय ब्यावर रोड केकडी।
9. श्री गजराज अहीर पुत्र श्री कुन्दनमल अहीर बौहरा कॉलोनी केकडी।
10. श्रीमति विश्णुकान्ता गौतम पत्नी श्री जिनेश कुमार चतुर्वेदी रतन नगर कॉलोनी केकडी।
11. श्रीमति नीलम पत्नी श्री नीरज कुमार भार्मा जयपुर बघेरा बाईपास केकडी।
12. श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री रामनारायण सेन बंसत विहार कॉलोनी केकडी।
13. श्रीमति पार्वती सेन पुत्र श्री बाबूलाल सेन श्रीनाथ कॉलोनी दण्ड का रास्ता केकडी।
14. श्री बसन्त कुमार जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन राजपुरा रोड केकडी।
15. श्रीमति रूकमणी देवी पत्नी श्री नोरतमल सेन राजपुरा रोड केकडी।

16. श्रीमति इन्द्रा देवी पत्नी श्री विनोद कुमार हरिजन कोदडा रोड केकडी।
17. श्रीमति बृजेश दाधीज पत्नी श्री पंकज कुमार, भार्मा जैन विजय कॉलोनी केकडी।
18. श्री महेंद्र कुमार पुत्र श्री कैलाश चन्द्र तिवाडी आर.के.कॉलोनी ब्यावर रोड केकडी।
19. श्रीमति पूनम कंवर पुत्री गोविन्द सिंह पत्नी श्री सज्जन सिंह चौहान भाह कॉलोनी राजपुरा रोड केकडी।
20. कमेटी के समक्ष नवज्योति विजय सेवा समिति देवलियाखुर्द जरिये सचिव महेश कुमार उपाध्याय की शैक्षणिक प्रयोजनार्थ निर्माण स्वीकृति की पत्रावली प्रस्तुत हुई जो आराजी खसरा नं 1146/511, 1148/517 में 7190 वर्गगज अर्थात् 6014 वर्गमीटर का पट्टा जारी किया हुआ है जो पट्टा संस्थागत है। पत्रावली के अवलोकन पर कमेटी द्वारा तकनीकी अधिकारियों की अभिशंषा के आधार पर भवन विनियम 2020 के प्रावधानानुसार भूतल + प्रथमतल की स्वीकृति जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया।

उक्त प्रत्येक पत्रावलीयों का कमेटी द्वारा अवलोकन किया जाकर जिसमें क्रम संख्या 1 से 19 तक पत्रावलीयों में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर, कनिष्ठ अभियंता तथा वरिष्ठ प्रारूपकार की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार भवन निर्माण स्वीकृति जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

प्रस्ताव सं. 04 : नामान्तरण के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों पर विचार :-

अधिशासी अधिकारी ने नाम हस्तान्तरण के प्रकरण कमेटी में रखे हैं जो निम्नानुसार हैं :-

1. श्रीमति कैलाशी देवी पत्नी श्री जगदीश वैष्णव अहिंसा नगर द्वितीय जयपुर रोड केकडी।
2. श्रीमति प्रकाश कंवर पत्नी निर्भय सिंह राजपूत भाग्योदय नगर प्रथम अजमेर रोड केकडी
3. श्री अंशुल कुमार पुत्र श्री प्रहलाद शर्मा श्रीनाथ सरोवर कॉलोनी पोकी नाडी केकडी
4. श्री लालाराम पुत्र श्री केसर लाल माली ग्यारसी मालन कॉलोनी पोकी नाडी के सामने जयपुर रोड केकडी
5. श्री अनिल कुमार वर्मा पुत्र श्री रामलाल वर्मा अजमेर रोड कल्याण कॉलोनी केकडी।
6. श्री राजकुमार पुत्र श्री रामचन्द्र मूलचन्दानी, श्रीमति धनवंति पत्नी श्री राजकुमार मूलचन्दानी कोर्ट केम्पस के सामने केकडी।
7. श्री सत्यनारायण पुत्र श्री मिट्टूलाल प्लॉट सं. 09 नीरज कॉलोनी केकडी।
8. श्री शशि कमल शाह पुत्र श्री मिट्टन लाल शाह शांतिनाथ नगर द्वितीय अजमेर रोड केकडी।
9. श्री हिम्मत सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह शेखावत शाह कॉलोनी द्वितीय राजपुरा रोड केकडी।
10. श्रीमति आशा देवी पत्नी श्री भागचन्द जैन शिवनगर छगनपुरा केकडी।
11. श्री संजीव शाह पुत्र श्री महावीर प्रसाद शाह न्यू विनायक नगर कॉलोनी अजमेर रोड केकडी।
12. श्री भानुप्रताप सिंह व सुमेर सिंह पुत्र हनुमान सिंह बजरंग कॉलोनी डौराई का रास्ता केकडी।
13. श्रीमती सुमनलता पत्नी रामअवतार मीणा व रामअवतार मीणा पुत्र रामदेव मीणा प्लॉट नं. 25 न्यू नन्द नगर कॉलोनी डौराई का रास्ता केकडी।
14. श्रीमति सुनिता विजय पुत्र श्री अशोक कुमार प्लॉट नं. 32 भाग्योदय नगर अजमेर रोड केकडी।
15. श्री अमन मांगधणा पुत्र श्री रमेश कुमार मांगधणा प्लॉट नं. 05 विद्यानन्द विहार कॉलोनी केकडी।
16. श्रीमति उमा देवी पाराशर पत्नी नन्दकिशोर पाराशर अजमेर रोड कृष्णा नगर चूंगी चौकी के पास केकडी।
17. श्रीमति पूजा कारिहा पत्नी श्री राहुल कारिहा सदर बाजार केकडी।
18. श्री राहुल कारिहा पुत्र श्री पूरण कुमार कारिहा सदर बाजार केकडी।
19. श्री दानमल गंगवाल पुत्र श्री तोतालाल जैन जूनियां गेट केकडी।
20. श्रीमति ओम कंवर पत्नी श्री शिवराज सिंह भाग्योदय नगर अजमेर रोड केकडी।
21. श्री निसार अहमद पुत्र श्री जमाल खां भट्टा कॉलोनी केकडी।
22. श्रीमति गायत्री मीणा पत्नी श्री गोविन्द सिंह मीणा कृष्णा नगर अजमेर रोड केकडी

कमेटी द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त आवेदनों में सम्मिलित दस्तावेजों का अवलोकन किया जाकर श्रीमान निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15.01.2020 के अन्तर्गत एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में जारी आदेश दिनांक 29.10.2021 के अनुसार नाम हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति/अनुमोदन करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया।

प्रस्ताव सं. 05 : नियम 69ए के तहत पट्टे प्राप्त करने हेतु प्राप्त पत्रावलीयों पर विचार :-

अधिशासी अधिकारी ने नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए के तहत पट्टे प्राप्त करने के लिए प्राप्त आवेदन/प्रकरण कमेटी में रखे हैं जो निम्नानुसार हैं :-


1. श्री जमालुदीन पुत्र श्री सुबान खां निवासी बन्जारा मोहल्ला केकडी।
2. श्रीमति यशोदा देवी पत्नी श्री किशोरी लाल यादव, श्री राजेन्द्र यादव व दिनेश यादव पुत्र श्री किशोरी लाल यादव निवासी बन्जारा मोहल्ला केकडी।


7


3. श्री रामरतन चौधरी पुत्र श्री लाल जाट निवासी बडा गुवाडा केकडी की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में सम्मिलित दस्तावेजो एवं कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का मौके पर बने भाग में बडा गुवाडा की ओर आवासीय प्रयोजनार्थ एवं अजमेर कोटा रोड पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग होना पाया गया। प्रार्थी ने व्यवसायिक प्रयोजनार्थ की राशि जमा कराकर 69 ए के तहत पट्टे की मांग की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की मांग के आधार पर नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के पत्र क्रमांक प.8(ग)() (PSKS) अभियान 2021 नियम/डीएलबी/21/73007 दिनांक 12.11.21 के बिन्दु सं 3 (क) के अनुसार कोटा रोड की ओर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन करते हुए व्यवसायिक भाग का माप 238.11 वर्गगज एवं आवासीय भाग का माप 259.46 वर्गगज का नियम 69 ए के तहत आवासीय + व्यवसायिक प्रयोजनार्थ पट्टा दिये जाने का निर्णय पारित किया गया।
4. श्री रामस्वरूप चौधरी पुत्र श्री रघुनाथ निवासी कोटा रोड केकडी की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में सम्मिलित दस्तावेजो एवं कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का मौके पर बने भाग में बडा गुवाडा की ओर आवासीय प्रयोजनार्थ एवं अजमेर कोटा रोड पर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग होना पाया गया। प्रार्थी ने व्यवसायिक प्रयोजनार्थ की राशि जमा कराकर 69 ए के तहत पट्टे की मांग की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की मांग के आधार पर नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के पत्र क्रमांक प.8(ग)() (PSKS) अभियान 2021 नियम/डीएलबी/21/73007 दिनांक 12.11.21 के बिन्दु सं 3 (क) के अनुसार कोटा रोड की ओर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन करते हुए व्यवसायिक भाग का माप 134.90 वर्गगज एवं आवासीय भाग का माप 432.57 वर्गगज का नियम 69 ए के तहत आवासीय + व्यवसायिक प्रयोजनार्थ पट्टा दिये जाने का निर्णय पारित किया गया।
5. श्री बाबूलाल प पुत्र श्री गुलाबचन्द बजाज निवासी सदर बाजार केकडी।
6. श्री टीकमचन्द पुत्र स्व. श्री मदनलाल साहू निवासी कोटा रोड केकडी।
7. श्री राजेन्द्र कुमार लखारा पुत्र श्री गोपीलाल लखारा निवासी मीर बावडी के सामने केकडी।
8. श्री दुर्गालाल पुत्र श्री देबीलाल खाती खिडकी गेट केकडी।
9. श्री राजेश पुत्र श्री निवास शर्मा निवासी गुजराती मोहल्ला केकडी।
10. श्री गोपाल बलाई पुत्र श्री छगल बलाई निवासी जुवाडिया मोहल्ला केकडी।
11. श्री किशन बलाई पुत्र श्री छगन बलाई निवासी जुवाडिया मोहल्ला केकडी।
12. श्रीमति ब्रहस्पती देवी पत्नि श्री गिरधर गोपाल निवासी पटवार भवन के पास खिडकी गेट केकडी।
13. श्री गोविन्द बलाई पुत्र श्री छगन बलाई निवासी जुवाडिया मोहल्ला केकडी।
14. श्रीमति शालन बाई पत्नि श्री आनन्द जाधव निवासी नाईकान गली पुरानी तहसील के पास केकडी।


कमेटी द्वारा उपरोक्तानुसार प्राप्त पत्रावलियों का अवलोकन किया गया जिसमें क्रम सं. 1 व 2 की पत्रावली में पूर्व में ग्रांट एक्ट के तहत पट्टा जारी किया हुआ है तथा आवेदको द्वारा उक्त पट्टे को समर्पित कर नियम 69 ए के तहत आवासीय पट्टा चाहा गया है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजों का अवलोकन कर मास्टर प्लान के अनुरूप आवासीय उपयोग दर्शित होने से आवेदको को नियम 69 ए के तहत आवासीय पट्टा दिये जाने का निर्णय सम्मति से पारित किया गया। व क्रम संख्या 5 से 14 तक पत्रावलियों में संलग्न दस्तावेजों के आधार पर, कनिष्ठ अभियन्ता तथा वरिष्ठ प्रारूपकार की प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नियम 69ए के तहत आवासीय पट्टे जारी करने का निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।


इसके पश्चात् सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।


(कमलेश कुमार साहू)
अध्यक्ष
नगरपालिका केकडी


(घासी लाल गुर) (सहयक अभियन्ता)
सहायक अभियन्ता
नगर पालिका, केकडी


(बसन्त कुमार सैनी)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका केकडी


(भाग चन्द बैरवा)
कनिष्ठ लेखाकार
नगरपालिका केकडी


(मन्जूलता कुमारी)
वरिष्ठ प्रारूपकार
नगरपालिका केकडी

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् निदेशक महोदय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. श्रीमान् उपनिदेशक महोदय (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
3. श्रीमान् सहायक नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, अजमेर।
4. श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका केकड़ी।
5. सम्बन्धित शाखा प्रभारी, नगरपालिका केकड़ी।
6. संरक्षित पत्रावली।



(बसन्त कुमार सैनी)

सदस्य सचिव, एम्पावर्ड कमेटी
एवं अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका केकड़ी